रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-07022023-243499
CG-HR-E-07022023-243499

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 2023/माघ 17, 1944
No. 71] NEW DELHI, MONDAY, FEBRURY 6, 2023/MAGHA 17, 1944

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए)

शुद्धिपत्र

गुरुग्राम, 3 जनवरी, 2023

फा. सं. 23/2018.— भारत के राजपत्र में प्रकाशित आयोग की दिनांक 30 नवंबर, 2018 की अधिसूचना सं. 456, असाधारण, भाग III, खंड 4 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:-

जबकि जेईआरसी ने 26 नवंबर, 2018 को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2018 अधिसूचित किया है।

जबकि उक्त विनियमों में असावधानीवश टाइपोग्राफिक त्रुटि सामने आई है, जिसे निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करके संशोधित किया जाता है:

1. **पृष्ठ 175 पर, अनुलग्नक-XXI के क्र.सं. 8 में, 'नहीं'** शब्द को एतद्वारा हटाया जाता है।

तदनुसार, अनुबंध-XXI के क्रम सं. 8 को अब निम्नानुसार पढ़ा जाए: -

8. यह गारंटी .....तक वैध होगी जब तक कि लाइसेंसधारी के नाम से मांग करने पर इसे बढ़ाया नहीं जाता है। ऊपर वर्णित किसी भी बात के बावजूद, इस गारंटी के विरुद्ध हमारी देनदारी रु. ..... (.....रुपए) तक सीमित है, जब तक कि समाप्ति या बढ़ाई गई तिथि के छह महीने के भीतर हमारे

पास लिखित में दावा दर्ज न किया जाए। इस गारंटी की समाप्ति के बाद गारंटी के तहत हमारी सभी देनदारियां समाप्त हो जाएंगी।

दिनांक .....दिन.....के लिए .....(बैंक का नाम)

इसे माननीय आयोग के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./597/2022-23]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

CORRIGENDUM

Gurugram, the 3rd January, 2023

F. No. 23/2018.—In Notification No. 456, dated 30th November,2018, Extraordinary, Part III, Section 4 of the Commission published in the Gazette of India, the following corrections are made: -

Whereas JERC has notified Joint Electricity Regulatory Commission (Electricity Supply Code) Regulations, 2018 on 26th November, 2018.

Whereas inadvertent typographic error has cropped up in the said Regulations, which needs to be rectified by issuing the following corrigendum:

1. **At page 175, Sr.no. 8 of Annexure-XXI**, the word '**not'** is hereby deleted.

   Accordingly, Sr.no.8 of Annexure-XXI is now to read as under: -

8. This guarantee shall be valid up to .....unless extended on demand by the Name of Licensee. Notwithstanding anything mentioned above, our liability against this guarantee is restricted to Rs.....(Rupees.....) and unless a claim in writing is lodged with us within six months of the date of expiry or the extended date of expiry of this guarantee all our liabilities under guarantee shall stand discharged.

   Dated the .....day of.....for .....(Name of Bank)

This issues with the approval of the Hon'ble Commission.

RAKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./597/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.02.07 14:24:12 +05'30'